

प्रेषक,

मो० वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,
30प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2025

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम, शाहजहाँपुर में केरूगंज चौराहा पाकड़ चौकी से (एस०टी०पी०) व गौशाला से होते हुए एन०एच०-30 शाहजहाँपुर-बरेली हाईवे तक स्मार्ट रोड के निर्माण कार्य की परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, 30प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-3321/106/SSCM/2020-21, दिनांक-28.02.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम, शाहजहाँपुर में केरूगंज चौराहा पाकड़ चौकी से (एस०टी०पी०) व गौशाला से होते हुए एन०एच०-30 शाहजहाँपुर-बरेली हाईवे तक स्मार्ट रोड के निर्माण कार्य की परियोजना हेतु पी०एफ०ए०डी० द्वारा आंकलित कुल धनराशि (जी०एस०टी० सहित) ₹० 2220.44 लाख (रूपये बाईस करोड़ बीस लाख चौवालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹० 1110.22 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ दस लाख बाईस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-


- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र० लखनऊ द्वारा स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गार्डइलाइन्स 2019 के दिशा निर्देशों/शासन के आदेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, शाहजहाँपुर/नामित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को अंतरित की जायेगी।
- (2) धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
- (4) प्रायोजना की डिजाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर भविष्य में कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
- (5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप नगर निगम/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (6) नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहाँपुर का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व समस्त प्रकार की स्वीकृतियां/अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हों।

- (7) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निकाय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बंधित सामग्री की लागत तथा जी0एस0टी0 का भुगतान करने से पूर्व प्रायोजना में उपयोग की सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की CONSUMED मात्राओं का भी मिलान करते हुये भुगतान किया जायेगा।
- (8) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन मोर्थ 2019 एवं बरेली वृत्त, लोक निर्माण विभाग की वर्ष - 2022 की अनुसूची दर के आधार पर दर विश्लेषण/आधारित विश्लेषित दरों को प्रयुक्त किया गया है एवं समस्त कार्य मोर्थ की विशिष्टियों एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विभागीय सर्कुलर के अनुरूप ली गयी है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
- (9) प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फार्मेशन चौड़ाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्चर्स यथा-पुल, पुलिया, ड्रेन इत्यादि का निर्माण IRC/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (10) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अंतर्गत विद्युत विभाग (विद्युत पोल आदि की शिफ्टिंग हेतु) ₹0 405.65 लाख की धनराशि सम्मिलित करते हुये लागत का आंकलन किया गया है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व लोक निर्माण विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन के अनुसार निकाय द्वारा अपने स्तर से प्रस्तावित कार्यों का Verification and revalidation कराते हुये क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा एवं तदनुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी। साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग करने हेतु एन0एच0ए0आई0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी की पुनः आवश्यकता न हो।
- (11) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कार्य की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (13) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
- (14) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किये जाये।
- (15) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (16) निकाय द्वारा यह भी समीक्षा किया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा पर्याप्त संख्या में सक्षम तकनीकी मेन पावर तैनात की गयी है अथवा नहीं।
- (17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (18) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

- (19) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (20) संबंधित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति (डूप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
- (21) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की दिनांक 08.11.2024 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त में अंकित समस्त बिन्दुओं/अन्य सुझावों का अनुपालन/समावेश करने का दायित्व व्यक्तिगत रूप से नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहांपुर का होगा एवं इसका पर्यवेक्षण मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी द्वारा किया जायेगा।
- (22) उक्त परियोजना का तकनीकी परीक्षण/तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का अपव्यय न हो।
- (23) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (24) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- (25) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (26) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (27) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
- (28) निकाय द्वारा 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (29) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04 मार्च, 2024 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1110.22 लाख (रुपये ग्यारह करोड़ दस लाख बाईस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष **2024-25** के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 037** लेखा शीर्षक **2217050510300** राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम **मानक मद 35** पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।


3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या E-9-637-X-2024-25, दिनांक- 24 मार्च, 2025** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)
25.3.25
अनु सचिव।

संख्या- 101 /2025/401/नौ-9-2025-001-ई-1873836, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
3. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
4. मण्डलायुक्त, बरेली।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहाँपुर।
10. प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, उ०प्र०।
11. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, शाहजहाँपुर।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
14. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,


(मो० वासिफ)
25-3-25
अनु सचिव।